संख्या-14/2015/ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2015

विषय :- सरकारी विभागों/उपक्रमों एवं निगमों द्वारा धनराशियों को बैंकों में जमा करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 व शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि समस्त विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके यहाँ संचालित बैंक खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना तो नहीं खोले/संचालित किए जा रहे हैं। यदि बैंक खाता वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोला गया है, तो उसे तत्काल बन्द करा दिया जाय।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों, जो अपने स्वयं की धनराशि से व्यवसाय कर लाभ अर्जित करते हैं और अपने सरप्लस फण्ड का विनियोजन बैंक खातों के माध्यम से करना चाहते हैं, तो केवल इस उद्देश्य के लिए बैंक खाता खोलने हेतु उन्हें वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित नहीं होगा।

4- राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली किसी भी धनराशि को रखे जाने हेतु बैंक खाता खोलने के लिये वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

5- उपरोक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु सम्बन्धित निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अपने निदेशक मण्डल/सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के उपरान्त अपना बैंक खाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किसी अनुसूचित (sheduled) बैंक जिसमें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक भी सम्मिलित है, में ही खोला जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 21-03-2012 व 29-5-2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-14/2015/ए-1-879(1)/दस-2015-10(33)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-2.

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।